खण्ड संख्या–01, गाटा संख्या–2/1, श्री दयाशंकर दीक्षित पुत्र श्री भमसैन शर्मा पट्टेधारक के बालू खनन पट्टे का क्षेत्रफल 7.4 हेक्टेयर ग्राम–ऊँचागॉव खादर, तहसील–डिबाई, जनपद–बुलंदशहर में बालू के खनन प्रोजेक्ट पर दिनांक– 23.10.2018 को अपरान्हः 04.00 बजे सभागार, तहसील–डिबाई, जनपद–बुलंदशहर में सम्पन्न लोक सुनवाई की कार्यवृत्ति के सम्बन्ध में :–

उपरोक्त संदर्भित बालू माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक श्री दयाशंकर दीक्षित पुत्र श्री भमसैन शर्मा के आवेदन पत्र पर सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–**एच 26014/सी–4 /एनओसी/212/2018 दिनांक 13.09.2018** जो जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बुलन्दशहर को पृष्ठांकित है के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर से लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी दिनांक, स्थान एवं समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय बुलन्दशहर के अनुरोध पत्र पर जिलाधिकारी बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 23.10.2018 को नामित अपर जिलाध्किारी, (न्यायिक), सभागार, तहसील–डिबाई, जनपद– बुलन्दशहर, नियत की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा–3 की उपधार (1) (2) के खण्ड अ के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–3067 (ई) दिनांक 01.12.2009 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत समाचार पत्र अमर उजाला ''हिन्दुस्तान'' के बुलन्दशहर संस्करण में दिनांक 19.09.2018 को प्रकाशित करायी गयी थी।

खनन परियोजनाओं के संबंध में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा मानक terms of reference तैयार की गयी है जो बेवसाइड www.seiaaup.in पर उपलब्ध है। उक्त मानक terms of reference के आधार पर पर्यावरण संघात ऑकलन/पर्यावरण प्रबन्ध परियोजना हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा दिनांक 04.04.2018 को कार्यवाही हेतु निम्न निर्णय लिया गया है :–

"Project Proponent may undertake primary baseline data from the date of issuance of Letter of Intent without waiting for issuance to ToR. Project Proponent may also undertake the prescribed standard ToR for EIA studies if he applies for exemption from ToR presentation, he may be allowed to do so provided he fulfills all the necessary condition of standard ToR."

SEAC has no objection in holding joint Public hearing at the tehsil headquater.

आज दिनांक 23.10.2018 को जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) श्री शमशाद हुसैन की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन सभागार तहसील–डिबाई, जनपद– बुलन्दशहर में आयोजित की गयी। उक्त लोक सुनवाई में निम्नाकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री शमशाद हुसैन, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जनपद–बुलन्दशहर।
2. श्री उमाशंकर सिंह, उपजिलाधिकारी, तहसील–डिबाई, जनपद–बुलन्दशहर।
3. श्री आर0वी0सिंह, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर।
4. डॉ0 एदल सिंह, सहायक भू वैज्ञानिक, बुलन्दशहर।
5. श्री राजकुमार यादव, तहसीलदार–डिबाई, जनपद–बुलन्दशहर।
6. श्री एस0सी0 गर्ग, अपर सांख्यिकी अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र, बुलन्दशहर।
7. श्री अखिलेश कुमार गुप्ता, पर्यावरणीय सलाहकार इंजीनियर्स सर्विसेस, 326–बी, 3 मंजिल, सहारा शापिंग सेन्टर, फैजाबाद रोड, लखनऊ–226016

अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

श्री आर0वी0 सिंह, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया तथा प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध

.....2/–

Scanned by CamScanner

में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। अभिकथित किया गया कि उक्त परियोजना में बालू का खनन का कार्य गंगा नदी के किनारे, खण्ड संख्या–01, गाटा सं0–2/1, ग्राम–ऊँचागांव खादर, तहसील–डिबाई,जनपद–बुलन्दशहर में प्रस्तावित है उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किसी भी खनन परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित स्टेट इनवायरोमेन्टल इम्पैक्ट असिसमेन्ट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है B1 श्रेणी के अन्तर्गत खनन क्षेत्र का क्षेत्रफल 50 हेक्टेयर से कम है। उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना प्राविधानित है। यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से आस–पास के पर्यावरण पर पडने वाले प्रभाव पर पट्टेधारकों द्वारा पर्यावरणीय सलाहकार इंजीनियम सर्विसिस, 326–एबी, 3 मंजिल, सहारा शॉपिंग सेन्टर, फैजाबाद रोड, लखनऊ–226016 को परामर्शी नियुक्त किया गया था।

परामर्शी द्वारा 10 किमी0 की त्रिज्या में स्थित पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अनुश्रवण/आंकडों के एकत्रण का कार्य स्टेट इनवायरोन्मेन्टल इम्पैक्टइ असिसमेन्ट अथारिटी द्वारा दी गयी टर्म ऑफ रिफरेन्स के बिन्दुओं के अनुरूप की गयी थी तथा उक्त आंकडों के आधार पर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बोर्ड में प्रस्तुत की गयी थी तथा उसकी एक–एक प्रति अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी कार्यालय, बुलन्दशहर जिला उद्योग केन्द्र बुलन्दशहर, जिला पंचायत बुलन्दशहर, खनन विभाग, बुलन्दशहर एवं क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर में जनता के सुझाव, विचार, टीका टिप्पणियां प्रेषित करने हेतु परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख उपलब्ध कराये गये थे। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा परामर्शी से विस्तृत विवरण प्रेषित किये जाने हेतु आग्रह किया गया।

परामर्शी श्री सोम्य द्विवेदी द्वारा अवगत कराया गया कि सन्दर्भित खनन पट्टा क्षेत्र 7.4 हेक्टेयर है। परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बालू खनन ही है, जिससे राजकीय एवं निजी निर्माण हेतु प्रयोग किया जाता है, परन्तु भारत सरकार द्वारा वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी खनन कार्य से पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों को यथासम्भव न्यूनतम करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की जानी होती है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिको को प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नदी की धारा को दूषित न किया जाये, जैव भौतिकी पर पडने वाले प्रभाव को न्यूनतम करने हेतु खनन कार्य दिन में ही किया जायेगा।

साथ ही अवगत कराया गया है कि परियोजना में कार्य करने वाले समस्त श्रमिको के स्वास्थ की पूर्ण जिम्मेदारी पट्टेधारक की होगी तथा परियोजना के प्रारम्भ होने पर ग्राम वासियों को रोजगार की प्राप्ति होगी। खनन कार्य के परिवहन हेतु वाहनो ट्रको/ट्रैक्टर/डम्पर इत्यादि के आवागमन से उत्पन्न धूल के नियंत्रण हेतु परियोजना में जल छिडकाव की व्यवस्था का प्राविधान किया जायेगा। पट्टेधारक द्वारा समय–समय पर पानी का छिडकाव किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु वाहन चालकों को प्रशिक्षित किया जायेगा कि अनावश्यक हार्न का प्रयोग न करें। खनन कार्य दिन के समय ही किया जायेगा। अगर पट्टेधारक द्वारा किसी भी निजी भूमि में रास्ता बनाया जाता है तो उसको नियमानुसार उचित मुआवजा तथा उसकी सहमति के उपरान्त ही बनाया जा सकता है। स्थल पर कूडेदान (डस्ट बिन) की व्यवस्था की जायेगी। मूवेबिल टॉयलेट (शौचालय) की व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी। परामर्शी, संस्था द्वारा जल/वायु ध्वनि आदि से सम्बन्धित नमूने एकत्रित किये गये थे। विश्लेषण के उपरान्त प्रचालक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मानको से कम पाये गये है।

.....3/–

Scanned by CamScanner

सर्वप्रथम परामर्शी श्री अखिलेश कुमार गुप्ता द्वारा सभी का स्वागत करते हुए यह कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देंगे। उनके द्वारा बताया गया कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0, शासनादेश सं0—1875/86—2017—57 (सा) 2017 टीसी—1 दिनांक 14.08.2017 के द्वारा प्रदेश में नदी तल में उपलबध उप खनिज बालू आदि के रिक्त क्षेत्रों पर उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के प्राविधानों के अन्तर्गत ई—टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से जनपद बुलन्दशहर में बालू खनन हेतु तहसील डिबाई के ग्राम —ऊँचागाँव खादर के 03 क्षेत्रो में बालू को ई—निविदा के माध्यम से खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु विज्ञप्ति सं0—51/खनन अनुभाग दिनांक 08.01.2018 को ई—निविदा पोर्टल पर अपलोड करते हुए दिनांक 13.02.2018 से दिनांक 16.02.2018 के मध्य ई—निविदा आमंत्रित की गयी।

उक्त विज्ञप्ति के खण्ड क्रमांक सं0 01 पर अंकित ग्राम ऊँचागाँव खादर के खण्ड सं0—01, गाटा सं0 2/1, क्षेत्र 7.4 हेक्टेयर से अनुमानित खनन 74000 घन0मी0 प्रतिवर्ष में द्वितीय चरण की नीलामी जो दिनांक 20.02.2018 को दोपहर 2 बजे से सांय 5 बजे तक निर्धारित थी, उक्त निर्धारित तिथि पर द्वितीय चरण की नीलामी में आपके द्वारा रू 691/— की सर्वाधिक बिड प्रस्तुत कर बालू खनन हेतु बालू खनन पट्टा प्राप्त किया गया है, जिसके अनुसार उक्त क्षेत्र की मात्रा 114240 घनमीटर की कुल धनराशि रू 78939840/— (सात करोड़ नवासी लाख उन्तालीस हजार आठ सौ चालीस रूपये मात्र) प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित की गयी है।

प्रस्तावित परियोजना का उददेश्य नदी के किनारे का चौड़ा होने से रोकना तथा आसपास के क्षेत्रों को बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचाना। नदी के बहाव क्षेत्र से लघु खनिजों (बालू) के खनन एवं संग्रहण के द्वारा नदियों के मौजूदा मार्ग को बनाये रखना। समाज के गरीब वर्ग के लिए आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना। इस परियोजना से निर्माण सामग्री बालू की आपूर्ति में सुधार होगा, जिससे राज्य में बुनियादी जरूरतें जैसे— सड़कों, इमारतों, पुलों आदि के निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

प्रस्तावित परियोजना से खनन के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल 7.4 हेक्टेयर होगा। खनन नदी क्षेत्र के उस भाग में होगा जो किसी भी प्रकार की वनस्पति से रहित है। हर वर्ष नदी क्षेत्र से लगभग 74000 घन0मी0 सामग्री के संग्रहण की प्रस्तावना की गयी है। विचाराधीन खनन क्षेत्र में नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित नहीं किया जाएगा। नदी में जल प्रवाह की मात्रा कैचमेन्टक्षेत्र में अवक्षेपण अर्थात वर्षा की मात्रा के अनुसार बदलती है। बाढ़ के दौरान कोई गतिविधि नही की जायेगी। बालू खनन नदी के बहाव क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा। खनन का कार्य मजदूरों द्वारा नदी तल के स्वीकृत क्षेत्र से ही किया जायेगा तथा रेत सामग्री उसके मौजूदा स्वरूप से ही संग्रहित की जायेगी। खनन की प्रक्रिया केवल 01 मीटर की गहराइ अथवा भूजल स्तर से ऊपर, में जो कम हो, तक ही की जायेगी। बालू सामग्री का खनन बाढ़ के दौरान पूरी तरह से रोक दिया जायेगा।

प्रस्तावित परियोजना से निर्माण के लिए बालू सामग्री का खनन अत्यंत आवश्यक है। इस परियोजना से आस—पास के क्षेत्र में रहनें वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। इस परियोजना से लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लघु खनिजों का अवैज्ञानिक संग्रहण रूक जायेगा। राज्य के लिए राजस्व उपलब्ध होगा जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (परियोजना की लागत का 5) = 2.52 लाख (आधार आकलन सर्वेक्षण की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर) — पास के गांवो और स्कूलों के हैंड पंप की स्थापना। पास के गांवो में सौर सड़क प्रकाश। महिलाओं के लिए पास के गांव के लिए शौचालय। सामान्य स्वास्थ्य जांच के लिए मेडिकल शिविर का आयोजन।

.....4/—

Scanned by CamScanner

पर्यावरणीय विवरण–पर्यावरणीय गुणवत्ता की जांच के लिये खनन क्षेत्र के आस–पास के स्थानों का चुनाव किया गया है। अध्ययन काल के दोरान, व्यापक वायु गुणत्ता के नमुने 5 स्थानों पर, मृदा गुणवत्ता की जांच 5 स्थानों पर, ध्वनि स्तर की जांच 5 स्थानों पर, भू–जल गुणवत्ता के नमूने 5 स्थानों पर, तथा सतह जल गुणवत्ता के नमूने 3 स्थान पर जांच की गई।

खनन प्रक्रिया – खनन कार्य खुली खुदाई प्रक्रिया के द्वारा नदी के किनारे उपलब्ध साधारण बालू पर किया जायेगा। खनन कार्य अर्ध यंत्रीकृत (सेमी–मेकेनाइज्ड) विधि द्वारा किया जायेगा। वर्षा ऋतु मे खनन कार्य पूर्ण रूप से रोक दिया जायेगा। साधारण बालू का खनन सेमि–मेकेनाइज्ड विधि से की जाएगी तथा वाहन में अर्ध यंत्रीकृत विधि द्वारा भर दी जाएगी। ज़िसमे हल्के उपकरणों का प्रयोग किया जायेगा।

परियोजना के लाभ – नदी चैनल पर नियंत्रण। नदी के किनारे की रक्षा। बाढ़ के कारण आसपास के कृषि भूमि की डूबने को कम करना। नदी के स्तर के बढ़ने को कम करना। निर्माण के लिए उपयोगी आर्थिक संसाधन पैदा करना। ग्रामीणों के लिए रोजगार उत्पन्न रोजगार पैदा करना। आस–पास के स्थानीय निवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार।

प्रभाव मूल्यांकन तथा रोकथाम मानक – क्रियाशील अवस्था के दौरान – परियोजना की क्रियाशील अवस्था के दौरान पर्यावरण पर कठोर प्रभाव पड़ सकता है, यदि सहज तथा सही रोकथाम मानक ना लिए जायें। पर्यावरण प्रबंधन परियोजना तथा प्रभाव आगे समझाए गये है।

प्रत्याशित पर्यावरणीय प्रभाव व रोकथाम के उपाय –

वायु पर प्रभाव – वायु की गुणवत्ता के अध्ययन से पाया गया कि खनन प्रक्रिया से वहां के पर्यावरण पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। खनन प्रक्रिया, लोडिंग और उनके परिवहन के दौरान धूल के सूक्ष्म कण का उत्सर्जन होगा। धूल के कण पी.एम. 10 एवं पी.एम 2.5 प्रमुख वायु उत्सर्ग है।

उपाय : वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु नियमित जल का छिड़काव व हरित पट्टिका का विकास प्रस्तावित है।

जल पर्यावरण पर प्रभाव – रेत/मोरम के खनन से जल प्रवाह के मार्ग पर एवं भौतिक गुणों में प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। भौतिक गुणों में परिवर्तन होने स`जल प्रवाह के जीवों और सम्बन्धित तटीय आवासें पर प्रभाव पड़ेगा।

उपाय : जमाव नदी के माध्यम/निचले हिस्से में पाया जाता है। पट्टे की पूरी अवधि के दौरान, जमाव पर 3 मीटर भूतल से नीचे काम किया जायेगा। खुले गड्ढ़ो की अंतिम गहराई भूतल से नीचे 3 मीटर तक ही होगी।

ध्वनि पर प्रभाव – खनन का स्थान गांवो से दूर है जिससे ध्वनि का प्रभाव विशेष नही होगा। खनन प्रक्रिया से सिर्फ परिवहन द्वारा ही ध्वनि उत्पन्न होगी।

उपाय : ध्वनि की रोकथाम के लिए कम ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाहनों कों ही वरीयता दी जायेगी।

मृदा पर प्रभाव – वायु में धूल कणों के स्थिर होने से मृदा की संरचना व रासायनिक तत्वों में बदलाव हो सकता है व ठोस पार्टीकुलेट के पानी में बह जानें से भी मृदा पर प्रभाव पड़ सकता है।

उपाय : आस–पास के गांवो की सड़कों पर पौधारोपण किया जायेगा जिससे धूल के प्रभाव को कम किया जा सके।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि इस परियोजना से पर्यावरणीय सम्बन्धी किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो वह अपनी समस्या/शिकायत दर्ज करा सकता है।

.....5/–

Scanned by CamScanner

प्रश्न सं0–1. श्री भजनलाल यादव पुत्र श्री लालराम, ऊचाँगॉव खादर, तहसील–डिबाई, जनपद–बुलन्दशहर द्वारा वाहनो के आवागमन से उड़ने वाले धूल की समस्या बताई गई।

उत्तर सं0–1 परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि खनन कार्य में लगे वाहनो को तिरपाल से ढक्कर ले जाया जायेगा तथा मार्ग पर दिन में तीन बार जल का छिड़काव किया जायेगा जिससे धूल उड़ने की समस्या नहीं होगी।

गंगा नदी की धारा प्रवाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिससे भूगर्भ जल का स्तर नीचे नही जायेगा। उक्त परियोजना में ट्रकों के आवगमन से उडने वाली धूल के नियंत्रण हेतु पानी छिडकाव की व्यवस्था की जायेगी जिससे फसलों पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ेगा।

पट्टेधारक प्रतिनिधि श्री दयाशंकर दीक्षित द्वारा आश्वस्त किया गया कि ग्रामवासियों द्वारा जो भी आपत्ति या सुझाव दिये गये है उन सभी का समाधान ग्रामवासियों की आपसी सहमति से किया जायेगा तथा परियोजना में खनन कार्य से कोई भी समस्या नही होने देगें।

डॉ0 एदल सिंह, सहा0 भू वैज्ञा0, खनन विभाग, बुलन्दशहर द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना में प्रयुक्त ट्रकों के आवागमन से उडने वाली धूल के नियंत्रण हेतु पानी का छिडकाव किया जायेगा तथा ग्राम की मुख्य सडक के निर्माण हेतु जिला खनिज फाउंडेशन में उपलब्ध धनराशि से प्रस्ताव तैयार कर भविष्य में पक्का मार्ग बनाया जा सकता है।

अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), महोदय बुलन्दशहर द्वारा अवगत कराया गया कि खनन कार्य से ग्राम वासियों को रोजगार मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। ट्रकों के आवागमन से उडने वाली धूल के कारण खराब होन वाली फसलों को बचाने हेतु नियमित रूप से जल छिड़काव किया जायेगा तथा फसलों के खराब होने पर उचित मुआवजा दिया जायेगा। वाहनों के आवागमन से होने वाली क्षति की पूर्ति पट्टेधारकों द्वारा की जायेगी। खनन कार्य से प्राप्त राजस्व का कुछ अंश ग्राम विकास जैसे सडक, स्कूल आदि में प्रयोग किया जायेगा। साथ ही अवगत कराया गया कि परियोजना में खनन का कार्य वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा, जिसमें सेमी आटो मशीनों का प्रयोग किया जायेगा तथा भूगर्भ जल स्तर गिरने की समस्या वर्षा ऋतु में कम होना व सब्मर्सिबल पम्पों द्वारा भूगर्भ से अत्यधिक दोहन किया जाना है। उक्त बैठक की बीडियोग्राफी की गयी है। जिसको कार्यवृत्त के साथ संलग्न कर शासन को प्रेषित की जायेगी तदोपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति होने के पश्चात पट्टे धारक द्वारा प्रस्तावित परियोजना पर खनन कार्य किया जायेगा। प्लास्टिक का प्रयोग खनन परियोजना स्थल पर पूर्णतयाः प्रतिबन्धित रहेगा। यदि पट्टेधारक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में आरोपित शर्तों का अनुपालन नही किया जाता है तो ग्रामवासियों की शिकायत पर पट्टा निरस्त किये

.....6

Scanned by CamScanner

जाने का प्राविधान है। खनन परियोजना शुरू करने से पहले खनन अधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा मार्ग चौड़ीकरण के सम्बन्ध में सर्वे कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तत्पश्चात पट्टाधारक द्वारा खनन कार्य किया जायेगा। पट्टाधारको द्वारा मार्ग का चौड़ीकरण किया जायेगा इसके बाद ही खनन कार्ये पट्टाधारको द्वारा किया जायेगा। खनन कार्य हेतु ऐसे ट्रांसपोर्टरो को लगायेंगे जिनके ड्राईवरों द्वारा शराब एवं नशीले पदार्थों का सेवन न करते हो। जिससे ग्रामवासियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा अन्त में उपस्थित सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए अपर जिलाधिकारी से लोक सुनवाई के समापन हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

(एस.सी. गर्ग)
अपर संख्याधिकारी,
जिला उद्योग केन्द्र
बुलन्दशहर

(डॉ0 एदल सिंह)
सहा0 भू वैज्ञानिक,
खनन विभाग,
बुलन्दशहर

(आर0वी0सिंह)
सहा0वैज्ञा0अधि0,
उ0प्र0 प्र0नि0बो0,
बुलन्दशहर

(उमाशंकर सिंह)
उपजिलाधिकारी,
डिबाई

(शमशाद हुसैन)
अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)
बुलंन्दशहर

Scanned by CamScanner